

संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर वोट करेगा

हालांकि संभावना है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होने के कारण यह बिल लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो जाएगा

—रेणु मिश्र—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। “इंडिया” गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दल सामूहिक रूप से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ वोट देंगे। यह विधेयक कल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये मंगलवार शाम को इंडिया ब्लॉक के सभी विपक्षी दलों की मीटिंग हुई तथा यह तय हुआ कि ये सभी दल पूरी चर्चा में भाग लेंगे तथा उसके बाद सभी सामूहिक रूप से विधेयक के विरुद्ध वोट देंगे।

अगले दिन यह विधेयक राज्यसभा में रखा जाएगा। यह तो तय सा है कि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा, क्योंकि तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) तथा जनता दल (यू) इसका समर्थन करेंगे।

पहले इन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था तथा जेपीसी की माँग

■ भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है।

■ सत्तारूढ़ एन.डी.ए. के घटक जद (यू) और तेलुगूदेशम पहले वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ थे पर अब वे बिल के पक्ष में वोट करेंगे और उन्होंने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है।

■ ज्ञातव्य है कि जद (यू) और तेलुगूदेशम के विरोध पर ही वक्फ विधेयक जेपीसी को भेजा गया था और इन दलों द्वारा प्रस्तावित संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं।

■ इंडिया ब्लॉक के भी सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी की है। विपक्ष पूरी ताकत से सरकार का विरोध करेगा।

■ बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार उससे पहले वक्फ बोर्ड बिल पारित करा लेना चाहती है।

की थी तथा सरकार, अपने मित्र दलों के दबाव पर, जेपीसी के लिये सहमत भी

हो गई थी।

टीडीपी तथा जेडी (यू) दोनों ही दलों ने, तीन पंक्ति का व्हिप जारी करके अपने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने तथा वक्फ विधेयक पर सरकार का समर्थन करने के लिए कहा है।

वक्फ विधेयक को पारित करने में टीडीपी के समर्थन के बदले में, सरकार उसके तीन संशोधनों पर सहमत हो गई है।

विपक्ष ने भी विधेयक का विरोध करने के लिये अपने सदस्यों के लिये व्हिप जारी किये हैं तथा ऐसी आशा की जा रही है कि विपक्ष पूरी ताकत से सरकार का मुकाबला करेगा तथा मोदी सरकार के हिन्दू-मुस्लिम एजेंडे की बखिया उधेड़ेगा।

बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होना है तथा सरकार की कोशिश है कि संसद के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने से पहले, वक्फ विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाये।

मुख्यमंत्री भजनलाल की राज्य कर्मचारियों को सौगात

जयपुर, 1 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत् (2082) एवं नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की सौगात दी है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि देय होगी। उल्लेखनीय है कि गत शुरुवार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के डीए में बढोत्तरी की गई थी। इस बढोत्तरी के बाद पहले कार्यदिवस पर ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना देरी किए राज्य में भी केन्द्र सरकार के

■ राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश दिए।

कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत देय होगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जिनके घर गिराए हैं उन्हें 6 सप्ताह में दस लाख रूपए हर्जाना दिया जाए’

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में लोगों के घर गिराए जाने को अमानवीय कृत्य बताते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय आज योगी आदित्यनाथ सरकार तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर भारी नाराजगी जताई और शहर में घरों को गिराये जाने को “अमानवीय और अवैध” करार दिया। जस्टिस अभय एस. ओका तथा उज्जल भूयान की बेंच ने मकान तोड़ने को कार्यवाही को मनमानी और दादागिरी पूर्ण बताते हुए कहा कि “देश में कानून का शासन” है और नागरिकों के घर इस तरह नहीं दहाये जा सकते।

बेंच ने कहा, “इस घटना ने हमारी अन्तरात्मा को झकझोर दिया है। “आश्रय का अधिकार” (राइट टु शैल्टर) तथा “कानून की उचित प्रक्रिया” जैसी भी कोई चीज होती है।” इसलिये शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिये कि जिनके

■ जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भूयान की बेंच ने प्रयागराज में दादागिरी से मकान तोड़े जाने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश में कानून का राज है और “आश्रय स्थल का अधिकार” भी कोई चीज है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता, जलिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद तथा अन्य लोग, जिनके घर तोड़े हैं, की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने हमारी अन्तरात्मा को हिला दिया है।

कार्यवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को जबरदस्त झाड़ लगाई थी, तथा कहा था कि इससे “स्तब्धकारी एवं गलत संकेत” जाता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने गलतफहमी में मकान दहा दिये थे, उसने ऐसा लगा कि वह जमीन अपराधी-राजनेता अतीक अहमद की है, जो 2023 में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका था।

तमिलनाडु भाजपा में कौन लेगा अन्नामलाई की जगह?

तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में तीन नाम सबसे आगे हैं

—लक्ष्मण वैकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। तमिलनाडु भाजपा भारी परेशानी में है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी नेतृत्व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को बदलने पर विचार कर रहा है। अन्नामलाई के विकल्प के रूप में तीन नाम चर्चा में हैं।

चर्चा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक से गठबंधन की खातिर अन्नामलाई को हटाया जा रहा है। इस पद के लिए तेलंगाना की राज्यपाल और तमिलनाडु भाजपा की पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन, तिरुनेलवेली की विधायक नैना नागेन्द्रन और थेवर समुदाय के कदावर नेता और सांसद एल. मुरुगन प्रमुख हैं।

असल में अन्नाद्रमुक ने भाजपा के सामने गठबंधन के लिए अन्नामलाई को हटाने की पूर्व शर्त रखी है। अन्नाद्रमुक ने लोकसभा चुनावों से पहले अन्नामलाई के व्यवहार के कारण भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। तब ऐसा लग रहा था मानो भाजपा गठबंधन तोड़ना चाहती थी और

■ पहले नम्बर पर हैं, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, जो पूर्व में भी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं।

■ इसके बाद तिरुनेलवेली की विधायक नैना नागेन्द्रन और थेवर जाति के कदावर नेता सांसद एल. मुरुगन का नाम चर्चा में हैं।

■ अब यह एकदम साफ है कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई के दिन पूरे हो चुके हैं। असल में अन्नाद्रमुक ने अन्नामलाई को हटाने की शर्त रख दी थी। भाजपा नेतृत्व ने अन्नाद्रमुक नेतृत्व को मनाने की बहुत कोशिश की, पर, पलानीस्वामी टस से मस नहीं हुए।

तमिलनाडु में अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है। अन्नामलाई अन्नाद्रमुक के नेताओं खासकर जयललिता के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे। अन्नाद्रमुक के प्रमुख ई. पलानीस्वामी इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की पर पलानीस्वामी नहीं माने। अभी भी उनकी

अन्य राज्यों के दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

जयपुर, 1 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में प्रदेश से बाहर का दिव्यांग प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपौठ ने यह आदेश राहुल कुमार सहित करीब एक

■ हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के एक मामले में सुनवाई करते हुए इन अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए।

दार्जन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सेनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। तथापि, उनका यह कहते हुए चयन नहीं किया गया कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश से बाहर का है। इसके चुनौती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनस ने अपनी हाल की टिप्पणियों में, अपने देश को भारत के “लेण्ड लॉक” (भूमि से घिरे हुये) पूर्वोत्तर राज्यों के लिये महासागर का “एकमात्र अभिभावक/संरक्षक” बताया है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के लिये आमंत्रित किया है। मुहम्मद यूनस की उक्त टिप्पणी और चीन को दिये गये आमंत्रण का भारत में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है।

अपनी हाल ही चीन यात्रा के दौरान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख ने चीन से उनके देश (बांग्लादेश) में निवेश करने का अनुरोध किया था तथा कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का लेण्डलॉक होना एक अवसर सिद्ध हो सकता है। यूनस ने कथित रूप से कहा कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य लेण्डलॉक हैं। उनके पास महासागर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। (इसलिये) महासागर के एकमात्र संरक्षक हम ही हैं। इससे एक बहुत बड़ी संभावना (का द्वार) खुलता है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है।”

■ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनस ने कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य “लेण्ड लॉक” अर्थात् भूमि से घिरे हुए हैं, उनके पास समुद्र तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। इसलिए समुद्र के संरक्षक हम हैं।

■ यूनस के इस बयान को लेकर भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों व विभिन्न दलों ने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भारी विरोध जताया।

■ असल में पूर्वोत्तर राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक) के जरिए शेष भारत से जुड़े हुए हैं। यह नेपाल व बांग्लादेश के बीच का संकड़ा मार्ग है। चीन और भूटान इसके काफी समीप हैं, इसलिए भारी चिंता जताई जा रही है।

यूनस के इस बयान से भारत में सुरक्षा-संबंधी चिन्ताएँ पैदा हो गई हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “बांग्लादेश, भारत को घेरने के लिये चीन को आमंत्रित कर रहा है। यह एक खतरनाक स्थिति है। भारत सरकार मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रही है तथा अरुणाचल में चीन ने गाँव बसा ही दिये हैं। हमारी विदेश नीति इतनी करुणाजनक एवं दयनीय है कि जिस देश को अस्तित्व में आने के लिये भारत ने मदद की थी, वही आज हमारे खिलाफ लामबंदी कर रहा है।”

शिव सेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे एक ऐसी “खतरनाक स्थिति” बताया है, जो भारत की रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य आज सिलगुड़ी कॉरिडोर, जिसे “चिकन्स नैक” भी कहा जाता है, के जरिए शेष भारत से जुड़े हुये हैं। यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच, जमीन की एक सँकरी सी पट्टी है तथा भूटान और चीन इस कॉरिडोर से कुछ सौ किलोमीटर दूर ही हैं। यूनस के इस ताजा बयान से उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री बड़े उत्तेजित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा

सरमा ने पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने के अन्य ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो सिलगुड़ी कॉरिडोर से नहीं गुजरते हों। सरमा ने कहा कि यूनस का यह बयान भारत के सिलगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक कॉरिडोर) से जुड़ी “स्थायी रूप से असुरक्षित स्थिति (पर्सिस्टेंट वल्नेरैबिलिटी नैटिव) को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा, “हमें वैकल्पिक रास्ते तलाशने ही होंगे, भले ही इस कार्य में इंजीनियरिंग-संबंधी जबरदस्त चुनौतियाँ सामने आयें।”

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बोरिन सिंह ने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि यूनस बांग्लादेश की भू-राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए पूर्वोत्तर को एक “राजनीतिक बंधक” (स्ट्रैटेजिक पॉन) के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूनस से आग्रह किया कि वे “अविवेकी बयान” न दें, क्योंकि इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 1 अप्रैल। पाँचसौ मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सूरज बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं

■ पाँचसौ मामलों की विशेष अदालत ने कहा, अभियुक्त युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है, उस पर नरमी नहीं बरती जा सकती।

अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 28 जून, 2021 को वह वैवाहिक समारोह में करीली गया हुआ था और उसकी पत्नी काम करने घर से बाहर गई थी। शाम को पत्नी के घर आने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो बाघों को रैस्क्यू कर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा

रायसेन/भोपाल, 01 अप्रैल। वन विभाग भोपाल एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रैस्क्यू टीम, पशु चिकित्सकों एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से रायसेन जिले के भोजपुर वन क्षेत्र से दो बाघों को रैस्क्यू किया गया। रैस्क्यू के उपरांत दोनों टाइगर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित ढंग से

■ मध्यप्रदेश में रायसेन जिले के भोजपुर वन क्षेत्र से रैस्क्यू किए गए टाइगर्स को लेकर प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा गया। भोजपुर से लगे हुए वन क्षेत्र बीट भोजपुर में भोजपुर-इमलिया मार्ग पर एक माह से दो टाइगर्स का लगातार विचरण बना हुआ था। इन टाइगरों ने 5 मवेशियों का शिकार किया था। टाइगर के विचरण के कारण ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे थे। टाइगरों का खेतों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—लक्ष्मण वैकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। इलैक्टोरल सर्वे और ओपीनियन पोलस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से इस समय जो एजेण्डा इन मीडिया कवायदों को प्रेरित कर रहे हैं उसे देखते हुए और तमिलनाडु सरकार के प्रदर्शन और मौजूदा राजनैतिक हालात पर हुए सर्वे को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

लेकिन सी वोटर, जो कि नियमित रूप से जनता की राय को ट्रैक करता रहता है, ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पूर्व करवाए गए अपने सर्वे में पाया है कि आगामी चुनावों में मौजूदा मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन काफी आगे हैं और जनता की राय पूछे जाने पर जनता ने उन्हें पहली पसंद बताया।

■ सी वोटर सर्वे के अनुसार, 27 प्रतिशत वोट के साथ स्टालिन अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों, ई. पलानीस्वामी और अन्नामलाई से काफी आगे हैं, जिन्हें दस-दस प्रतिशत वोट मिले हैं, पर, विजय 18 प्रतिशत वोट लेकर स्टालिन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

■ हालांकि, द्रमुक इस बात से खुश है कि जनता ने द्रमुक व स्टालिन के नेतृत्व में भरोसा जताया है, पर, युवा वर्ग में एक्टर विजय की अपील को अनदेखा नहीं किया जा सकता, खासकर “एटी इकम्बर्सी” फैक्टर को देखते हुए।

■ सर्वे में 15 प्रतिशत वोटर्स ने द्रमुक सरकार के काम काज पर पूर्ण संतोष, 36 प्रतिशत ने कुछ हद तक संतोष जताया, पर, 25 प्रतिशत ने असंतोष जाहिर किया और 24 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी। यह 49 प्रतिशत वोटर्स द्रमुक की टांका का प्रमुख कारण है।

■ द्रमुक के लिए अभी तक राहत की बात यही है कि विपक्ष बंटता हुआ है। पर, अगर अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन, जिसके गंभीर प्रयास हो रहे हैं, हो जाता है तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री पद के लिए 27 प्रतिशत लोगों ने स्टालिन को प्राथकता दी वहीं भाजपा के अन्नामलाई और अन्नाद्रमुक के ई. पलानीस्वामी को दस-दस प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया।

सी वोटर सर्वे ने बताया कि एक्टर विजय जो हाल ही में राजनीति में आए हैं, की पार्टी टीवी के शेष विपक्ष से आगे है, उन्हें 18 प्रतिशत लोगों ने अपना समर्थन दिया। एक तरह से यह नवीनतम सर्वे त्रिकोणात्मक संघर्ष का संकेत देता है पर इसमें द्रमुक का पलड़ा भारी है बशर्ते अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन हो जाए, अन्यथा चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, जिससे द्रमुक के जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। सर्वे को लेकर द्रमुक की खुशी का सबसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)